# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 89/2015/डिक्री

1. भेरू आत्मज भोजा गुर्जर
2. प्रकाष आत्मज भोजा गुर्जर
3. भगवानीबाई बेवा भोजा गुर्जर

तीनो निवासी सामरिया कंला तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़–अपीलान्टस

बनाम

1. राज्य जरिये जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
2. राज्य जरिये तहसीलदार, बेगूँ

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ
दिनांक 09.06.2015 प्रकरण सं. 65/2013

उपस्थित – 1. श्री सत्यनारायण ईनाणी – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्रीमती वन्दना चौखडा – राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक– 02.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय मे घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत केम्प काटून्दा तहसील बेगूँ मे खारीज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की उस डिक्री एवं निर्णय के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है।

2.अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण अपीलान्टस अथवा उनके अधिवक्ता को लोक अदालत मे प्रकरण रखने बाबत् कोई सूचना नही दी गई और न ही कोई साक्ष्य का अवसर ही प्रदान किया गया और सिर्फ रेस्पोडेन्ट राज्य सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार के कथनानुसार यह निर्णय कर दिया जो विधि के विरूद्ध है। वादग्रस्त आराजीयात वादी को भू–आंवटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 16/06/1986

को जरियेमि0न0773/86 द्वारा एलोट की गई तभी से वादी इस पर काबिज है और काफी खर्चा कर इसे आबाद किया है। इसे रिकार्ड मे वादी के नाम, अंकित न करना वैधानिक भूल है। वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता व पति स्व. भोभाजी को प्रकरण संख्या 776/86 से भू–आंवटन सलाहकार समिति बेगूॅ द्वारा दिनांक 16/06/1986 को आंवटन की गई जिस पर स्व0 भोभाजी व उसके बाद वादीगण बराबर काबिज होकर काष्त करते चले आ रहे है। इस आराजी को बिलानाम मान कर सन् 2004 मे चरनोट अंकित कर दिया जिससे वादीगण का हक किसी भी प्रकार से प्रभावित नही है। वादीगण एलोटषुदा भूमि चरागाह हेतु आरक्षित करने का कोई वैधानिक औचित्य नही है। चालू जमाबन्दी के आधार पर वादीगण के दस्तावेजात पर गोर किये बिना चरागाह हेतु आरक्षित मान कर निर्णय किया जो पूर्णतया गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आंवटन होना स्वीकार किया गया किन्तु आंवटित भूमि पर कब्जा दिया गया अथवा नही, इसे प्रमाणित नही माना जबकि कब्जा सौपना रेकार्ड से प्रमाणित है जिसका कोई खण्डन नही है एवं इसके अतिरिक्त आंवटन निरस्त होने का भी कोई कथन नही है। यही नही कब्जा सुपूदर्गी का पर्चा भी पेष हुआ जिसकी अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखी की है और पूर्वाग्रह होकर राज्य सरकार के पक्ष मे यह निर्णय किया जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री एवं निर्णय निरस्त फरमाई जावे और वादीगण का वाद वादानुसार डिक्री फरमाया जावे।

3.दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे पत्रावली साक्ष्य स्टेज पर थी। निर्धारित पेषी से एक दिन पहले ही पत्रावली को लोक अदालत मे रखते हुए फैसल कर दी गई। अपीलान्ट को न तो लोक अदालत का नोंटिस प्राप्त हुआ तथा न ही किसी प्रकार का नोटिस जारी किया जाना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे नही पाया जाता है। आदेषिका पर अनुपस्थिति दिखलाते हुए निर्णय मे भी अनुपस्थित बताते हुए निर्णय पारित किया गया है जो विधिसम्मत

नही है तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के अनुकूल नही है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4.दौराने बहस राजकीय अभिभाषक ने बयान किया कि राजस्व षिविर आम जनता को राहत पहूॅचाने के उद्‌देष्य से आयोजित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने मे किसी प्रकार की त्रुटि नही की गई है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट खारीज की जावे।

5.बहस उभयपक्ष सुनी गई। अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत के सम्बन्ध मे बिना नोटिस जारी किये एवं बिना तामील कराये निर्णय पारित किया गया है। पत्रावली लोक अदालत मे बिना किसी प्रार्थना पत्र के सुनवाई की पूर्व निर्धारित तिथि से पूर्व ही लोक अदालत मे रख ली गई एवं निर्णय पारित कर दिया गया है। जो विधिसम्मत नही है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगॅू द्वारा प्रकरण संख्या 65/2013 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09/06/2015 अपास्त की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्षो की विधिवत सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़